



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



## विस्तृत-निर्देश

(विज्ञापन संख्या-02/2023)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों (First Referral Units) में विभिन्न संकायों के विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctor) के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	पद का नाम	न्यूनतम अनिवार्य अर्हता	रिक्त पदों की संख्या
1	Obstetricians and Gynaecologist	<ul style="list-style-type: none"> <li>MD in Obstetrics &amp; Gynaecology/MS in Obstetrics &amp; Gynaecology/DNB in Obstetrics &amp; Gynaecology from a recognized Institute/University.</li> <li>Or</li> <li>DGO from a recognized Institute/University.</li> <li>The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.</li> </ul>	<p>108 (अनारक्षित-27, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-24, पिछड़ा वर्ग-16, अनुसूचित जाति-21, अनुसूचित जनजाति-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-15, पिछड़े वर्गों की महिला-3)</p>
2	Paediatrician	<ul style="list-style-type: none"> <li>MD in Paediatrics/DNB in Paediatrics from a recognized Institute/ University.</li> <li>Or</li> <li>Diploma in Child Health (DCH) from a recognized Institute/University.</li> <li>The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.</li> </ul>	<p>142 (अनारक्षित-48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-28, पिछड़ा वर्ग-19, अनुसूचित जाति-24, अनुसूचित जनजाति-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-16, पिछड़े वर्गों की महिला-5)</p>
3	Aneasthetist	<ul style="list-style-type: none"> <li>MD in Anaesthesia/DNB in Anaesthesia from a recognized Institute/ University.</li> <li>Or</li> <li>Diploma Anaesthesia (DA) from a recognized Institute/ University.</li> <li>The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration, Patna, Bihar or Medical Council of India or National Medical Commission before joining.</li> </ul>	<p>139 (अनारक्षित-49, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-27, पिछड़ा वर्ग-18, अनुसूचित जाति-24, अनुसूचित जनजाति-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-15, पिछड़े वर्गों की महिला-4)</p>

**नोट:** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-11/आ०नी०-1-11/2015 सा०प्र० 963 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, संकल्प ज्ञापांक-962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण तथा पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती एवं नाती/नतिनियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

### निर्देश:-

- उक्त सभी पदों हेतु विज्ञापन, विस्तृत-निर्देश एवं ToR, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - <https://shs.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।
- उक्त सभी पदों तथा सभी कोटियों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) होगी। आयु एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए **Cut off Date- 01.08.2023** तक होगी।
- मानदेय**

NHM के तहत विशेषज्ञ चिकित्सक पद का मानदेय/प्रतिमाह का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापन स्थल	मानदेय/प्रतिमाह
MS/MD/DNB	जिला मुख्यालय में (यथा-सदर अस्पताल)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र)
MS/MD/DNB for Anaesthetist, Paediatrician and Obstetricians & Gynaecologist only.	जिला मुख्यालय से बाहर (यथा-अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल)	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र)
Diploma	जिला मुख्यालय में अथवा जिला मुख्यालय से बाहर (यथा-सदर/ अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल)	₹ 90,000/- (नब्बे हजार रुपये मात्र)

- इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website-<https://shs.bihar.gov.in> के Human Resource > Advertisement सेक्शन में उपलब्ध लिंक पर विलक करके विस्तृत-निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे ToR में वर्णित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता धारण करते हैं। न्यूनतम अर्हता धारण न करने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
- उक्त पदों के लिए Online आवेदन भरने की प्रारंभिक एवं अन्तिम तिथि/समय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

प्रारंभिक तिथि एवं समय	14/11/2023 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से)
अंतिम तिथि एवं समय	06/12/2023 (अपराह्न 06:00 बजे तक)

- नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए एक बार तथा स्वस्थता, सत्यनिष्ठा एवं कार्य कुशलता के आधार पर अगला क्रमशः 65 एवं 67 वर्ष की आयु तक NHM के जारी रहने तथा पद की स्वीकृति रहने की स्थिति में विस्तारित तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक पाँच (05) विकल्प दे सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पास सुरक्षित रहेगा।
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली के अध्याय-2 कंडिका-5 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा समान पद पर पूर्व में कार्य किया गया है या वर्तमान में कार्यरत रहते हुए आवेदन किया गया है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- आरक्षण:-**

- आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा के लिए अभ्यर्थी को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
- आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। Online आवेदन भरते समय आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला

अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

- (iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (अनुसूची-1/प्रपत्र-1) मान्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित चिकित्सा पर्वद (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को रिक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। उक्त आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास Online आवेदन करते समय सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

11. **Application Process:**

- (i) इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के Website-<http://shs.bihar.gov.in> के Human Resource > Advertisement सेक्शन में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन (Recent) passport size रंगीन फोटो (20 kb to 150 kb in JPG/JPEG/PNG format) एवं हस्ताक्षर (10 kb to 150kb in JPG/JPEG/PNG format) में upload करना अनिवार्य होगा। साथ ही, यथा निर्धारित ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में वांछित अभिलेख आदि अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का इमेज तथा अभिलेख आदि की प्रति (in PDF format) सुस्पष्ट है। अभ्यर्थी Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे, ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

- (ii) उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं Online आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगी। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। Online आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही Active Mobile Number एवं E-mail ID इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
- (iv) Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
- (v) Internet व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने एवं समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे बल्कि अंतिम तिथि के पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
- (vi) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ समिति के अधिकृत वेबसाईट <https://shs.bihar.gov.in> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार-पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (vii) इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

## 12. चयन का आधार/मापदण्ड का निर्धारण

सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन/नियोजन के लिए कुल अंक 100 निर्धारित करते हुए शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(i) MBBS परीक्षा में प्राप्तांक :	कुल 60 अंक
(ii) MS/MD/DNB परीक्षा में प्राप्तांक :	कुल 40 अंक (flat)
या	
Diploma परीक्षा में प्राप्तांक :	कुल 30 अंक (flat)


नोट:-

- (a) MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.60 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा MBBS में 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे  $50\% \times 0.60 = 30$  अंक दिये जाएंगे तथा MD/MS/DNB के लिए flat 40 अंक एवं Diploma के लिए flat 30 अंक दिये जायेंगे।
- (b) किसी अभ्यर्थी को MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक प्रदान किया हो तो, यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक को प्रतिशत में Convert किया गया होगा तो उसी प्रतिशत को आधार बनाया जायगा, अन्यथा ग्रेड अथवा CGPA अंकधारी अभ्यर्थी को फ्लैट रेट से 50% अंक निर्धारित किया जाएगा। जो न्यूनतम अर्हतांक माना जाएगा।
- (c) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2/एम०-59/2018-993(2) दिनांक 06.08.2021 के तहत विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेश चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ०एम०जी०ई०) के प्राप्तांक को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। उनका निबंधन MCI/NMC से होना अनिवार्य है, के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

13. मेधा सूची में Tie होने पर दिशा-निर्देश:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्मतिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात्, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

14. उक्त पदों के लिए काउन्सेलिंग हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
15. बिना किसी पूर्व सूचना के रिक्ति/कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियोजन के पूर्व एवं नियोजन के पश्चात् करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. राज्य स्वास्थ्य समिति उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

  
कार्यपालक निदेशक